Negotoations whh Asian Development Bank for one billion dollar aid

*26. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI MURLIDHAR CHAND-
RAKANT BHANDARE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that negotiations have been going on for securing one billion dollar aid from the Asian Development Bank;

(b) if so, what is the outcome thereof so far; and

(c) what type of projects are proposed to be financed thereby?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRr RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Annual discussions were held with the Asian Development Bank to secure ADB's commitment towards loans during 1992, when the ADB Country Programming Mission visited India in February, 1992. ADB has agreed to a total commitment level of US $ 950 million during 1992 for any four of the five projects under processing. These five projects cover Power, Energy Conservation, Petroleum and Ports Sectors, and a possible Programme loan for financial sectors reforms.

चमड़ा उद्योग द्वारा

***27. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश का चमड़ा उद्योग विगत पांच वर्षों से अपने निर्यात में लगातार वृद्धि कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस उद्योग के समुचित विकास के लिये इस में आवश्यक सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चमड़े के निर्यात में लगातार वृद्धि के बावजूद तैयार जूतों के निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने मूल्य के चमड़े का निर्यात किया गया और इसमें से तैयार जूतों के निर्यात का मूल्य कितना था ; और

(ङ) जूतों के निर्यात की तुलना में चमड़े का अधिक निर्यात होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ङ) जी हां। चमड़ा क्षेत्र में भारत के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1985-86 में 660 करोड़ रु० के स्तर से बढ़कर यह निर्यात वर्ष 1991-92 में 3210 करोड़ रु० (अनन्तिम) के हो गए।

सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नीति यह रही है कि कच्चे माल (अर्थात चमड़े) की बजाय चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाय। फलस्वरूप चमड़ा क्षेत्र के कुल निर्यातों में फुटवीयर (मुख्यत: जूतों) सहित चमड़ा उत्पादों के अंश में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया :-

(मूल्य करोड़ रु०)

उत्पाद	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अन)
1	2	3	4	5	6
1. अर्ध निर्मित चमड़ा	72.59	45.00	21.66	3.97	—
2. निर्मित चमड़ा	485.97	649.88	693.53	765.53	75

1	2	3	4	5	6
3. फुटवीयर (मुख्यतः जूते)	128.03	130.17	171.43	210.44	360
4. फुटवीयर संघटक	323.83	425.62	518.25	609.96	975
5. चमड़ा परिधान	105.72	166.15	332.88	579.20	675
6. चमड़े का सामान	128.17	191.55	292.88	408.62	450
	1244.85	1608.37	2030.03	2577.81	3210

(स्रोतः चमड़ा निर्यात परिषद्)

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि हाल के वर्षों में चमड़े का निर्यात स्थिर रहा है जबकि जूतों सहित फुटवीयर के निर्यात में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

पारगमन और वितरण के दौरान विद्युतीय हानि को रोकने के लिए एक निगम का गठन

***28. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री 17 मार्च 1992 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 282 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पारगमन और वितरण के दौरान विद्युत की हानि को रोकने के लिए हाल में एक अलग निगम स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक देश में विद्युत के पारगमन और वितरण के दौरान होने वाली विद्युत-हानि को कितना कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) सम्बद्ध विभागों द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उन पर कितनी राशि खर्च होगी

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन०पी०टी०सी०) को 23 अक्तूबर, 1989 को 5000 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया था जिसका उद्देश्य केन्द्रीय क्षेत्र के विभिन्न विद्युत उत्पादन स्रोतों से किसी क्षेत्र के अन्दर और इससे बाहर क्षेत्रों के भार केन्द्रों तक विश्वसनीयता सुरक्षा एवं किफायती तरीके से बृहत मात्रा में विद्युत का अन्तरण किए जाने की दृष्टि से पारेषण प्रणाली और सम्बद्ध उपकेन्द्रों का समन्वित एवं कुशलता से निर्माण करना है। राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम का स्थापित किया जाना किसी सीमा तक पारेषण हानियों को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम केवल केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों की ग्रिडों को विद्युत का पारेषण करता है तथा राज्य के अन्तर्गत आगे विद्युत का आबंटन करना सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड का दायित्व होता है। राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों में वितरण स्तर पर अत्याधिक हानियां होती हैं। इस प्रकार की पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :–

(1) अत्याधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत घटकों का पता लगाने के लिए राज्य